

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया—सह—अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2025 को 12:30 बजे अपराह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं0— 01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक—25.09.2025 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :-

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0—02

प्राधिकार की बैठक दिनांक —25.09.2025 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :-

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल—21 प्राधिकरण—पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0—03

प्राधिकार की बैठक दिनांक—25.09.2025 के बाद निर्गत पीक अप भान / ट्रक के स्थाई परमिट / अस्थायी परमिट का

ब्यौरा :-

(क) ट्रक / पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0—04

प्राधिकार की बैठक दिनांक —25.09.2025 के बाद बस / मिनी बस / सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई / विशेष परमिट का

ब्यौरा :-

बस / मिनी बस / सिटी राईड के कुल—598 (दिनांक 26.11.2025 तक) विशेष परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0—05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक—25.09.2025 के बाद बस / मिनी बस / सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार:-

दिनांक—27.11.2025 तक बस / मिनी बस के कुल—03 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:-

7

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	राहुल कुमार	BR11PD-2469 (बस) 12-04-2025 Cap-45	लेवाघाट से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-440	11-04-2027 10-01-2026 10-04-2026 11-04-2026	परमिट सं०-BR2025-SC1540A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
2	रजन यादव	BR11PC-8305 (बस) 21-09-2023 Cap-45	पूर्णिया से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	29-10-2027 16-12-2025 22-10-2026 23-09-2026	परमिट सं०-BR2023-SC-3238A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
3	शैलेन्द्र कुमार पान्डे	BR11T-2170 (बस) 26-12-2013 Cap-41	कटिहार से पूर्णिया कुल खेप-03 कुल दूरी-192	09-10-2026 23-12-2025 08-10-2026 08-10-2026	वाहन सं०-BR11T-2170 के वाहन स्वामी अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2020-SC-0527A का नवीकरण करने हेतु आवेदन समर्पित की गई है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक-17.09.2025 तक था।	वाहन स्वामी के अनुरोध पर परमिट सं०-BR2020-SC-0527A के नवीकरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।

कार्यावली सं०-5 (ख)

बिहार मोटरयान नियमावली, 1992 के नियम-101 के तहत प्राप्त एंजेन्ट अनुज्ञापित आवेदन का व्यौरा:-

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क/चलान तिथि	चरित्र प्रमाण-पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
1.	मो० नुरुल हुसैन पिता- मो० नईम, पता:- रहमत नगर, पो०+थाना-बहादुरगंज, जिला-किशनगंज।	462800166299	4450/ 24.11.2025	पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं०-BCHC/2025/1302544 दिनांक-09.09.2025.	बहादुरगंज बस स्टेण्ड, जिला-किशनगंज हेतु।	स्वीकृत

4

कार्यावली सं०-6.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 25.09.2025 के बाद जीप / ऑटो रिक्शा / मोटर कैब के निर्गत स्थायी / अस्थायी परमिट का व्यौरा:-

- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्शा / मोटर कैब के कुल-9 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी / नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक / पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।


(रवि राकेश)

अपर समाहर्ता, पूर्णिया
—सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


(अवधेश कुमार आनंद)

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


Rajesh K.

01/12/2025.

(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
—सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

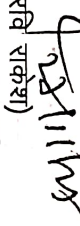
कार्यावली सं0-6.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 25.09.2025 के बाद जीप / ऑटो रिक्शा / मोटर कैब के निर्गत स्थायी / अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्शा / मोटर कैब के कुल-9 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी / नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक / पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

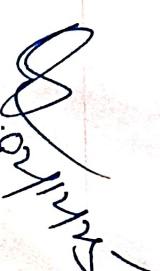
अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।


(रवि राकेश)
अपर समाहर्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


01/12/2025.
(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

ज्ञापक, 1263 दिनांक, 02-12-2025
प्रतिलिपि:- 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- 02. अपर समाहर्ता-सह-सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।